कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः यथाहस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **द्वितीय चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांकः F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांकः 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प.6(2)वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांकः 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर" विद्या सम्बल योजना" के **द्वितीय चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को" गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

उक्त के साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही पंचायतीराज संस्थाओ के क्षेत्रों को छोड़ते हुए केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ), समसा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-11-10
11:40:40 IST

RajKaj Ref No.:
25385618

v-1.0

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा,

क्रमांकः **दिनांकः**

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांकः F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, (राजकाज रेफरेंस नं0: 24116683) दिनांकः 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2)वित्त/सावितेनि/2021 जयपुर, दिनांकः 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **द्वितीय चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके द्वारा आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) **रिक्तियांः**

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) **रिक्तियों का प्रकाशन–**

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/यूसीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) **आवेदन प्रक्रिया–**

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/यूसीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) **वरीयता का निर्धारण–**

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/यूसीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची का निर्धारण पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) **चयन सूची का अनुमोदनः**– उक्तानुसार 01 पद हेतु 03–03 अभ्यर्थियों की चयन सूची का अनुमोदन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांकः 30.03.2021 के बिन्दु संख्याः 4(ख) में उल्लेखित जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से करवाया जायेगा, जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	विभागीय नॉडल अधिकारी एवं सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य सचिव

(7) **परिवेदना प्रस्तुत करनाः–**

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तरीय परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(8) **विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–**

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(9) **अन्य शर्तें–**

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/यूसीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाएं चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांकः 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/यूसीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/यूसीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(10) **कार्यक्रम एवं समय सारणीः–(ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को छोडकर)**

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	यूसीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	19.11.2026
2	यूसीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	21.11.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	23.11.2026 से 25.11.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (यूसीईईओ स्तर)	26.11.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	यूसीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मांगना।	27.11.2026 से 28.11.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों से प्राप्त आपतियों के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	30.11.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	यूसीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	01.12.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	02.12.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के	03.12.2026

	आवेदन पत्र एवं चयन सूची परीक्षण उपरांत संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	(दोपहर 12:00 बजे तक)
10	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची का अनुमोदन	04.12.2026(सायं 5:00 बजे तक)
11	आदेश जारी करना	04.12.2026(रात्रि 11:59 PM तक)

नोट– कार्यक्रम एवं समय–सारणी Indicative है। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते है।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा,

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त यूसीईईओ/प्राचार्य.....
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा,

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः–

2. पिता का नामः–

3. आवेदित विद्यालय का नामः–

4. आवेदित पद का नामः–

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–

6. जन्म तिथिः–

7. शैक्षणिक योग्यताः–
 1. माध्यमिक — वर्ष––––– प्रतिशत––– संलग्न–1
 2. उच्च माध्यमिक — वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–2
 3. स्नातक — वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–3
 4. अधिस्नातक — वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–4

8. प्रशैक्षणिक योग्यता
 1. बी.एड./समकक्ष — वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–5
 2. डी.एल.एड./समकक्ष — वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता — वर्ष––––––प्रतिशत–––संलग्न–7

10. निवास का पताः–
 1. स्थाई––

 2.वर्तमान––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. मोबाईल नम्बरः––

12. जाति वर्ग––––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12व13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13(स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर